न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 211/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. सदराम पुत्र वरींगा 2. पुखाराम पुत्र वरींगा 3. किसनाराम पुत्र वरींगा 4. अर्जुनराम पंत्र वरींगा (जाति विश्नोई, निवासी बामड़ला, तह0 सेड़वा, जिला बाडमेर)		1. मुकना पुत्र कुंभा 2. टीकमा पुत्र कुंभा 3. लिखमा पुत्र कुंभा (जाति कुम्हार, निवासी बामड़ला, तह0 सेडवा, जिला बाडमेर) 4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सेडवा राजस्व आवेदन सं0 283/2021 आदेश दिनांक 17.12.21

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनिया वकील अपीलांट्स
2. श्री ओमप्रकाश कुमावत वकील रेस्पो0 सं0 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.06.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील सेडवा के ग्राम बामड़ला स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 935/777 रकबा 74.12 बीघा एवं ख0नं0 780/177 रकबा 3.10 बीघा भूमि की नेखमबंदी पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 के उल्लेखित खसरान की भूमि पर नेखमबंदी करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्राम बामड़ला के खसरा नं0 178, 925/180, 924/180 के काबिजकाश्त खातेदार है। उक्त भूमि के चारों तरफ वक्त सेटलमेंट से थोर झाडी की बाड़ की हुई है। जिसमें अपीलांट्स अपने नलकूप से सिंचाई करके खेती करते है। रेस्पो0सं0 1 से 3 द्वारा अपने खेत खसरान की नेखमबंदी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने पडौसी खसरान के खातेदार अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाया गया, जिससे उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के प्रावधानों के अनुसार मौके पर सीमा की स्थिति आदि की जांच रिपोर्ट को पत्रावली पर लेकर सेटलमेंट नक्शे के अनुसार मौके पर यदि सीमाएं मेल नही खाती है तो उक्त कार्यवाही से 3 माह पूर्व से जो व्यक्ति मौके पर पहले से काबिज है, उसका कब्जा घोषित किया जाना आवश्यक है। जबकि उक्त प्रकरण में तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी के उल्लेखित खसरान की भूमि के पास अपीलांट्स की खातेदारी भूमि स्थित है, जिससे काश्त के समय सेढों को लेकर आपसी विवाद रहता है। इस कारण प्रार्थी–रेस्पो0 अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर नेखमबंदी जरिये पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विप्रार्थी नोटिस तामिल के उपरांत उपस्थित नही होने से एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश में विप्रार्थी–तहसीलदार सेडवा को हल्का पटवारी के साथ विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश कर, नेखमबंदी करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसमें अपीलांट्स की आपत्ति अनुचित है। अतः अपील अपीलांट्स खारीज कर अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रकरण में अपीलांट्स व रेस्पो0सं0 1 से 3 के मध्य मौके पर सीमा संबंधी विवाद है। यह भी प्रकट है कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदार–अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाया गया, जिससे उसे सुनवाई का अवसर नही मिला। मौका फर्द दिनांक 28.11.2021 में भी प्रार्थी–रेस्पो0 के खसरा नं0 935/777 की भूमि के सीमाज्ञान का ही उल्लेख है, प्रार्थी के अन्य खसरा नं0 780/177 का सीमाज्ञान रिपोर्ट में कोई उल्लेख नही है। इसके अलावा प्रकरण में तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का भी अभाव जाये जाने से अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेडवा (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 283/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं0 1 से 3 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 10 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

10.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर